माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./संशोधन/परीक्षा II/2026/175 दिनांक : 15-06-2026

कार्यालय आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जिज्ञा यादव बनाम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.06.2022 एवं इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डीबी स्पेशल अपील सं. 675/2022 ''High Court of Judicature for Rajasthan v/s Board of Secondary Education & Ors.'' में पारित आदेश दिनांक 10.09.2025 में दिए गए निर्देशों के क्रम में गठित समिति की अनुशंषा दिनांक क्रमशः 02.04.2026 एवं 23.04.2026 एवं माननीय प्रशासक महोदय के अनुमोदन दिनांक 01.05.2026 की अनुपालना में परीक्षार्थी की जन्मतिथि, परीक्षार्थी का नाम, उपनाम एवं माता–पिता का नाम, उपनाम व वर्तनी आदि में सुधार अथवा परिवर्तन हेतु माध्यमिक शिक्षा अधिनियम–1957 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक 02.06.2026 की अनुपालना में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 26.02.2021 एवं 06.09.2023 के अधिक्रमण में संशोधन की प्रक्रिया आधार एवं प्रावधानों को अनुदेशिका–2020 में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किए जाते हैं :–

क्र. सं.	त्रुटि विवरण	संशोधित प्रावधान
1.	जन्मतिथि में सुधार संबंधी नियम	शाला प्रधान द्वारा विधिवत रूप से अग्रेषित जन्मतिथि में संशोधन हेतु शाला का मूल स्कॉलर रजिस्टर (SR) प्रवेश आवेदन पत्र व पूर्व शाला का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) के आधार पर संशोधन स्वीकार किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार का संशोधन यदि (SR) पूर्व शाला की (TC) अथवा प्रवेश आवेदन पत्र में होतो इससे पूर्व शाला का उपरोक्त रिकार्ड तलब किया जा सकेगा। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिज्ञा यादव बनाम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पारित निर्णय के पैरा 151 से 157 के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र आदि लोक दस्तावेज न्यायालय साक्ष्य अधिनियम–1872 के अन्तर्गत वैधानिक प्रमाणिकता रखते हैं। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एवं विधि सम्मत होने पर सम्यक जांच उपरान्त संशोधन अनुमत किया जाएगा।** परीक्षा परिणाम घोषित होने से एक वर्ष की अवधि के बाद प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।
2.	नाम/उपनाम की वर्तनी आदि में सुधार संबंधी नियम	नाम में सुधार, जिसमें परीक्षार्थी के नाम/उपनाम, पिता/माता के नाम में वर्तनी की त्रुटियों, तथ्यात्मक टाइपिंग त्रुटियों को दूर करना शामिल है, ताकि यह स्कूल रेकार्ड या स्कूल द्वारा प्रस्तुत परीक्षार्थी /पिता/माता के नाम में सुधार के लिये आवेदन परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर ही विचारणीय होगा, बशर्ते परीक्षार्थी का आवेदन शाला प्रधान द्वारा निम्नलिखित सत्यापित दस्तावेजों के साथ अग्रेषित किया गया हो।

		1. प्रवेश के समय अभिभावकों द्वारा भरे गये प्रवेश पत्रों की सत्यापित प्रति, जिस पर संबंधित शाला प्रधान द्वारा विधिवत् सत्यापन किया गया हों। 2. प्रवेश के समय परीक्षार्थी के माता पिता द्वारा प्रस्तुत पूर्व विद्यालयों के विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि, संबंधित शाला प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापित। 3. विद्यालय के प्रवेश एवं निकासी रजिस्टर (SR) के उस पृष्ठ के भाग की सत्य प्रतिलिपि जिसमें परीक्षार्थी के संबंध में प्रविष्टि की गई है, संबंधित शाला के शाला प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापित हो। 4. बोर्ड द्वारा जारी प्रलेखों एवं शाला रिकार्ड में भिन्नता होने पर लोक दस्तावेज यथा :– राजपत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो, की सम्यक जांच उपरान्त वर्तनी संशोधन अनुमत किया जा सकेगा।
3.	नाम परिवर्तन संबंधी नियम	परीक्षार्थी के नाम या उपनाम, माता पिता के नाम या उपनाम में परिवर्तन संबंधी आवेदनों पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि परिवर्तन को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया हो और परीक्षार्थी के परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया हो।

उपरोक्त संशोधन जारी होने की दिनांक से पूर्व में जारी आदेश दिनांक 26.02.2021 एवं 06.09.2023 निरसित हो जाएगें।

संशोधन शुल्क :– रूपये 300/– प्रति त्रुटि (प्रति परीक्षा)

सचिव

क्रमांक : मा.शि.बो./संशोधन/परीक्षा II/2026/175 दिनांक : 15-06-2026

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय प्रशासक महोदय।
2. निजी सचिव, सचिव, मा.शि.बो., अजमेर।
3. निजी सहायक, विशेषाधिकारी परीक्षा।
4. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार।
5. निजी सहायक, मुख्य परीक्षा नियंत्रक।
6. निजी सहायक, निदेशक–परीक्षा।
7. उप निदेशक–परीक्षा/परीक्षा–।।/गोपनीय
8. ए.सी.पी.
9. सहायक निदेशक–परीक्षा
10. सहायक निदेशक–परीक्षा–।।
11. अनुभाग अधिकारी–समस्त शाखा।
12. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक–परीक्षा–।।

विद्यार्थी/छात्र/छात्रा से निम्न आशय की घोषणा एवं उसका सत्यापन व Indemnity भी प्राप्त करना होगा।

घोषणा

1 बोर्ड को सौंपे गए दस्तावेजों की प्रति (रंगीन या अन्य प्रकार से) का किसी भी उद्देश्य के लिए कही भी उपयोग नहीं करेगा।

2. प्रार्थी के अनुरोध पर ही बोर्ड द्वारा संशोधित दस्तावेज जारी किए गए है और वे बदले गए विवरणों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

3. प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उपनाम में परिवर्तन के लिए किये गये आवेदन के साथ जमा किए गए सभी दस्तावेजो को सत्यापित और प्रमाणित किया है।

घोषणाकर्ता

सत्यापन

मैं ....उक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र व वर्णित जानकारी और दस्तावेज सत्य है और इसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता

क्षतिपूर्ति (Indemnity)

मैं .... माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को क्षतिपूर्ति का वचन देता हूँ कि उपरोक्त परिवर्तन के विरूद्ध किसी तीसरे पक्ष द्वारा दावा नहीं किया जायेगा।

शपथकर्ता

सुधार/परिवर्तन के उपरान्त जारी होने वाले दस्तावेजों में निम्नानुसार शीर्षक (Caption) एवं Disclaimer का भी अंकन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

शीर्षक (Caption)

Change in Candidate's Mother's/Father's name (as the case may be) from..................... to .... is carried out and fresh Mark sheet or Certificate (as the case may be is issue on ....) as per public documents/gazette notification

Disclaimer

RBSE cannot be held responsible for the genuineness of school records produced by the incumbent in support of request to change in the original RBSE Certificate/Mark Sheet (as the case may be)

सत्यापन